प्रेस नोट

मॉनीटरिंग सेल

जनपद- शाहजहाँपुर

दिनांक: 08.10.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत शाहजहाँपुर पुलिस का सफल प्रयास”

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में क़डी सजा से दण्डित कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय बरेली जोन, बरेली व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, बरेली के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर के कुशल नेतृत्व में तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय एवं क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में शाहजहांपुर पुलिस को मिली बडी सफलता।

जनपद शाहजहांपुर के प्रमुख अभियोंगों के साथ अन्य महत्वपूर्ण/चर्चित अभियोगों में आजीवन कारावास, 20 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष का कारावास व 07 वर्ष से अधिक व कम की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

इस अभियान में मॉनीटरिंग सेल टीम व अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय में साक्षियों का सशक्त प्रस्तुतिकरण कराया गया। जिससे **माननीय न्यायालय द्वारा कुल 440 अभियोगों का निस्तारण करते हुए कुल 690 अभियुक्तों को सजा दी गयी**। जिसका विवरण निम्नवत है -

मॉनीटरिंग सेल जनपद शाहजहांपुर द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत सजा कराये गये अभियोगों का संख्यात्मक विवरण (दिनांक 01.01.2025 से 08.10.2025 तक)

1	आजीवन कारावास की सजा		
	कुल अभियोग	कुल अभियुक्त	अर्थदण्ड
	60	130	54 लाख 05 हजार 500 रूपये

2	20 वर्ष की सजा		
	कुल अभियोग	कुल अभियुक्त	अर्थदण्ड
	15	17	05 लाख 08 हजार 500 रूपये

3	10 वर्ष या उससे अधिक की सजा		
	कुल अभियोग	कुल अभियुक्त	अर्थदण्ड
	44	67	23 लाख 55 हजार 700 रूपये

मॉनीटरिंग सेल जनपद शाहजहांपुर द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत सजा कराये गये धारा 376 भादवि व पासो एक्ट के अभियोगों का संख्यात्मक विवरण (दिनांक 01.01.2025 से 30.09.2025 तक)

1	आजीवन कारावास की सजा धारा 376 भादवि व पाक्सो एक्ट		
	कुल अभियोग	कुल अभियुक्त	अर्थदण्ड
	7	8	08 लाख 30 हजार रूपये

2	20 वर्ष की सजा धारा 376 भादवि व पाक्सो एक्ट		
	कुल अभियोग	कुल अभियुक्त	अर्थदण्ड
	13	14	02 लाख 98 हजार 500 रूपये

3	10 वर्ष या उससे अधिक की सजा धारा 376 भादवि व पाक्सो एक्ट		
	कुल अभियोग	कुल अभियुक्त	अर्थदण्ड
	18	19	06 लाख 51 हजार 500 रूपये

मॉनीटरिंग सेल जनपद शाहजहांपुर द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत सजा कराये गये एससी/एसटी के अभियोगों का संख्यात्मक विवरण (दिनांक 01.01.2025 से 30.09.2025 तक)

1	आजीवन कारावास की सजा एससी/एसटी एक्ट		
	कुल अभियोग	कुल अभियुक्त	अर्थदण्ड
	08	23	06 लाख 94 हजार रूपये

2	10 वर्ष या उससे अधिक की सजा एससी/एसटी एक्ट		
	कुल अभियोग	कुल अभियुक्त	अर्थदण्ड
	4	4	01 लाख 45 हजार रूपये

- **प्रमुख जघन्य पाक्सो एक्ट अभियोग जिनमें आजीवन कारावास से दण्डित कराया गया:-**

(1). मु0अ0सं0 70/2025 धारा 70(2)/115(2)/351(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर जिसमे वादी ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ सामूहिक बलात्कार करना, मारपीट करना व घर पर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में अभियुक्त 1. तसब्बुर पुत्र अफजल 2. कुंवरपाल पुत्र छेदालाल निवासी फकरगंज थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर के विरूद्ध दिनांक 03.02.2025 को पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक व इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित करते हुए आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय एडीजे-42/पाक्सो एक्ट जनपद शाहजहांपुर द्वारा त्वरित सुनवाई करते हुए दिनांक 28.08.2025 को

अभियुक्तगण तसब्बुर व कुंवरपाल उपरोक्त को आजीवन कारावास की सजा व 115-115 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(2). मु0अ0सं0 119/2025 धारा 137(2)/65(2) बीएनएस व 5एम/6 पाक्सो एक्ट थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर जिसमें वादिनी ने अपनी नाबालिग पुत्री को बगीचे में ले जाकर बलात्कार करने के सम्बन्ध में अभियुक्त 1. पुष्पलाल उर्फ हीरे पुत्र पूरनलाल निवासी हुलास नंगला थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर के विरूद्ध दिनांक 11.03.2025 को पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक व इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित करते हुए आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय एडीजे-42/पाक्सो एक्ट जनपद शाहजहांपुर द्वारा त्वरित सुनवाई करते हुए दिनांक 08.08.2025 को अभियुक्त पुष्पलाल उर्फ हीरे उपरोक्त को आजीवन कारावास की सजा व 105000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **प्रमुख जघन्य हत्या के अभियोग जिनमें आजीवन कारावास से दण्डित कराया गयाः-**

(3). मु0अ0सं0 170/1999 धारा 302/201/364 भादवि थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर जिसमें वादी ने अपने भाई के अपहरण करके उसे जान से मारने व लाश छुपा देने के सम्बन्ध में अभियुक्त 1. देवेन्द्र पुत्र रक्षपाल निवासी परनिया थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत के विरूद्ध दिनांक 14.10.1999 को पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक व इलैक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय एडीजे-01 जनपद शाहजहांपुर द्वारा त्वरित सुनवाई करते हुए दिनांक 19.03.2025 को अभियुक्त देवेन्द्र उपरोक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(4). मु0अ0सं0 78/2023 धारा 302/307/34 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर जिसमें वादी ने अपने भाई की गोली मारकर हत्या करने के सम्बन्ध में अभियुक्त 1. नरसिंह पुत्र अमर सिंह 2. सुरेश उर्फ भूरे सर्व निवासीगण ग्राम मुडिया खेडा ज्ञान मझरिया थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर के विरूद्ध दिनांक 12.03.2023 को पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक व इलैक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय एडीजे-10 जनपद शाहजहांपुर द्वारा त्वरित सुनवाई करते हुए दिनांक 24.07.2025 को अभियुक्त 1. नरसिंह, 2. सुरेश, 3. आलोक उपरोक्त को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 60000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।